न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 16/18 — सन् 2018

GCMS NO-2017/00231

बउनवानीः— 1. भैरू लाल पुत्र बदरी रेगर निवासी निवाई रोड़ कस्बा बौली तह0 बौली

2. रामसहाय पुत्र बदरी रेगर निवासी निवाई रोड़ कस्बा बौली तह0 बौली

बनाम

1. दामोदर पुत्र हरीबल्लभ जाति खटीक निवासी बौली तहसील बौली
2. विमला पत्नि महेश कुमार जैन निवासी बौंली तह0 बौली जिला सवाईमाधोपुर
3. महेश कुमार पुत्र श्री रतनलाल जैन निवासी बौंली तह0 बौली जिला,स0मा0
4. दीपचन्द पुत्र कन्हैया लाल कोली निवासी बौंली तह0 बौली जिला सवाईमाधोपुर
5. शम्भूदयाल पुत्र कन्हैयालाल कोली निवासी बौंली तह0 बौली जिला,स0मा0
6. रामावतार पुत्र बदरी प्रसाद पाटीदार निवासी कस्बा बौली तहसील बौली
7. सुरेश पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा निवासी हिन्दुपुरा तहसील बौली

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बौंली के सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 6.1.2016 के आधार पर दर्ज फैसल नामा0 संख्या 566 दिनांक 11.3.2016 वाके ग्राम बौंली तहसील बौंली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः—1. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह — वकील अपीलान्ट

2. श्री रघु बंसल, मनीष तवंर — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 20.8.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार बौंली के सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 6.1.2016 के आधार पर दर्ज फैसल नामा0 संख्या 566 दिनांक 11.3.2016 वाके ग्राम बौंली तहसील बौली के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट अनुसूचित जाति के गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है जिनकी कृषि भूमि आराजी साबिक ख0न0 1343 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 1972 रकबा 0.16 है0, ख0न0 2044 रकबा 0.20 है0, ख0न0 1913/5853 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम बौंली मे निवाई रोड बौली में स्थित है। उक्त आराजी आपीलान्ट के पिता बदरी लाल पुत्र केशरलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रहमत खान पुत्र जहॉगीर खॉ से दिनांक 7.12.1982 को क्रय की गयी थी जिसपर अपीलान्ट अपने पिता के समय से काबिज चले आ रहे है एवं उसमे अपीलार्थीगण का मकानात इत्यादि बने हुए है। रेस्पो0 चतुर चालाक व्यक्ति है जिसमे रेस्पो 2 व 3 स्वर्ण जाति के भूमाफिया लोग है जिन्होने अन्य रेस्पो. को अपने साथ मिलाकर व राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियो से मिलकर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गरीब लोगो की जमीन हडपने का कार्य करते है एवं धनबल व रसूखदार व राजनैतिक पहुॅच वाले है जिनके विरूद्ध विभिन्न न्यायालय में कई मुकदमे विचाराधीन है। रेस्पो. संख्या 2,3 जो कि [illegible] है एवं भू माफिया है इन्होने फर्जीकार करते हुए अपराधिक षडयंत्र रचते हुए अपीलार्थीगण की जैर आ[illegible] को हडपने की नियत से रेस्पो. संख्या 4 व 5 से आराजी ख0न0 1972 [illegible] मिन नम्बर हाल ख0न0 1972/2 रकबा 0.08 है0 का रेवेन्यू रिकार्ड रेस्पो0 संख्या 4 व [illegible] फर्जी विक्रय पत्र तैयार कराके के रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में दिनाक 6.1.2016 को आबादी में सम्परिवर्तन [illegible] कर रेस्पो0 संख्या 3. द्वारा स्वंय के पक्ष में दिनांक 13.10.2016 को [illegible]र ऑफ अर्टोनी के आ[illegible]

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व कर्मचारियों से साजकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तैयार कराके उक्त आराजी का रेस्पो0 एक के पक्ष में आबादी में सम्परिवर्तन करवाया गया एवं ख0न0 1913/5883 रकबा 0.18 है0 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2012 को रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में करवाकर इस जमीन का भी सम्परिवर्तन रेस्पो0 संख्या 1 के नाम करवाकर एवं रेस्पो0 संख्या एक से अपने नाम मुख्त्यार आम (पॉवर ऑफ अर्टोनी) करवाकर स्वंय की पत्नि के नाम रेस्पो0 संख्या 3 ने दिनांक 13.10.2016 को तैयार कराके रेस्पो0 संख्या 3 ने स्वंय की पत्नि रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 11.11.2016 को फर्जी विक्रय पत्र तस्दीक कराया गया जिसमे अपीलार्थीगण की मकान को अपने विक्रय पत्र के नक्शे में दर्शाया जाकर सम्परिवर्तन आदेश का नामा0 तस्दीक करवाया गया जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर रेस्पो. के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.106/2018 जरिये न्यायालय ए.सी.जे. एम. से जरिये इस्तगासा दर्ज करवायी गयी जिसमे अनुसंधान के दौरान रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा शपथ. पत्र मे कहा कि मेरे नाम जो महेश कुमार जैन ने जमीन दीपचन्द को शम्भू दयाल महावर की खरीद की उसकी मुझे जानकारी नही है ओर ना ही पॉवर ऑफ अर्टोनी, कन्वर्जन इत्यादि की जानकारी है । ख0न0 465/2019, 1913/5883 रकबा 0.18 है0 एवं 1972/2 रकबा 0.8 है0 को लेकर रेस्पो. संख्या 1 द्वारा रेस्पो. संख्या 2 व 3 के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 465/2019 थाना बौली पर दर्ज करवायी गयी है। यह तर्क भी दिया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.11. 2016 के संलग्न नक्शे में जो सीमाऐ बतायी गयी है वो अपीलान्ट के मकानात की बतायी गयी है जिसमे पूर्व मे बौली निवाई रोड़ एवं पश्चिम दिशा में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि बतायी गयी है जबकि जैर स्थान पर अपीलान्ट के पिता के समय से मकानात इत्यादि बने हुऐ है एवं विधुत कनेक्शन करवाकर उपयोग उपभाग करते चले आ रहे है। अपीलान्ट के मकान इत्यादि के सामने पूर्व दिशा में निवाई यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि का सम्परिवर्तन भी नियम विरूद्व किया गया है क्योकि चैक मीमो एवं पटवारी रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नही है। वकील रेस्पो. द्वारा आदेश व नामा0 की अलग–अलग अपीले करने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो कोई आदेश रेवेन्यू ऐजेन्सीज पारित करती है तो उसके आदेश की पालना मे नामा0 भरा जाता है आदेश वं नामा. की एक ही अपील होती है। रेस्पो. अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में बहस मे निवेदन किया कि विवादित भूमि ह[illegible] है जिसके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बदरी नाथ भूमि का विक्रय कर चुका है एवं विवादित भूमि का [illegible]त्रावली पर संबंध में कथन है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कौनसा किस तारीख का किस भूमि [illegible] नियम 27 पेश नही किया है साथ ही कोई दस्तावेज पेश किये जाता है तो प्रार्थना पत्र [illegible] द्वारा सीपीसी के तहत पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर रिकार्ड पर लिया जा[illegible] बता कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2016 पेश कर रखा है जिसको रेस्पो[illegible] अंकित रहा है । वकील रेस्पो. संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने मकान दुकान की [illegible] ख0न0 नही की जिसके संबंध में तहसीलदार बौंली की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.1.202[illegible] के मकान बना हुआ है 6332/1972 रकबा 0.08 है0 मे से 1221 वर्गफीट पर अपीलान्ट भैरूलाल का मकान बना हुआ है तथा ख0न0 633/1972 रकबा 0.08 है पर 588 वर्गफीट पर पक्का मकान एवं 150 वर्गफीट भूमि पर अपीलान्ट संख्या 2 रामसहाय द्वारा पटटी चढाकर पाटोर बना रखी है ख0न0 1913/5853 रकबा 0.18 है0 की भूमि जो रेस्पो. संख्या 1 से लेना बता रहे है वो जमीन तो रास्ते मे जा चुकी है तो फिर उन्होने अपीलान्ट के दुकान व मकान की जमीन अपनी बताकर कन्वर्ज़न आदेश करवाये करवाये करने का प्रश्न है आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.2.2018 को जानकारी प्राप्त होने पर रेस्पो. के विरूद्व थाना बौली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 106/2018 जरिये न्यायालय एसीजेएम के आदेश से दर्ज करवायी जाकर समस्त दस्तवेजो की नकले दिनांक 23.4.2018 तक प्राप्त होने के उपरांन्त जैर सम्परिवर्तन आदेश एवं उसके आधार पर दर्ज फैसल आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 566 दिनांक 11.3.2016 को निरस्त करवाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है।

विद्वान वकील रेस्पो0 1,2,3,6,7 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश दिनांक 6.1.2016 एवं 11.3.2016 के विरूद्व दिनांक 3.5.2018 को लगभग 2 वर्ष बाद अपील पेश की गयी है एवं इसके अतिरिक्त दो आदेशो के विरूद्व एक ही अपील पेश की गयी है जबकि प्रत्येक आदेश के

........(2)........

Signature Not Verified
Digitally signed by Karna Ram
Date: 2025.10.21 15:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 16/2018 उनवानी भैरूलाल बनाम दामोदर वगै.)

विरूद्व पृथक–पृथक अपील पेश होनी चाहिए। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर एवं विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यंह तर्क भी दिया कि रेस्पो. द्वारा कोई फर्जीवाडा नही किया है क्योकि आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि को रहमत खॉ पुत्र जहांगीर खा से दिनांक 7.12.1982 को बदरी पुत्र केसरलाल रेगर द्वारा क्रय की गयी थी इसके बाद इसी भूमि को बदरी पुत्र केसरलाल रेगर से रेस्पो. संख्या 4,5 के पिता कन्हेया पुत्र तन्या कोली ने दिनांक 27.4.1987 को क्रय की गयी थी इसके पश्चात रेस्पो.संख्या 4,5 क्रमश दीपचन्द,शम्भूदयाल पुत्रान कन्हैयालाल कोली द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2012 को रेस्पो. संख्या 1 दामोदर पुत्र हरिबल्लभ जाति खटीक निवासी बौंली को विक्रय किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है, इसके बाद उक्त भूमि का विधिवत तरीके से सम्परिवर्तन करवाया गया है जहॉ तक चैक लिस्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नही होने का प्रश्न है तो उक्त सम्परिवर्तन तहसीलदार बौंली द्वारा किया गया इसलिए चैकलिस्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। तहसीलदार बौली की रिपोर्ट दिनांक 11.1.2022 के अनुसार रेस्पो0 की भूमि ख0न0 6332/1972 रकबा 0.08 है0 पर अपीलान्ट भैरूलाल द्वारा 33x37=1221 वर्ग फीट पर पक्का मकान बना रखा है तथा रेस्पो0 की भूमि ख0न0 6333/1972 रकबा 0.08 है0 पर अपीलान्ट संख्या 2 रामसहाय द्वारा 28x21=588 वर्ग फीट पर पक्का मकान एवं 10x15=150 वर्ग फीट भूमि पर पटटी चढाकर पाटोड बना रखी है। जहॉ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 106/2018 एवं 465/2019 का प्रश्न है तो उक्त दोनो एफ.आई.आर पर क्रमशः एफ.आर. संख्या 60 दिनांक 26.6.2018 एवं एफ.आर संख्या 133/19 दिनांक 30.11.2019 को हो चुकी है। यह तर्क भी दिया अपीलान्ट द्वारा मुझ रेस्पो0 की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा उसी कब्जे का बनाये रखने हेतु मुझ रेस्पो. पर दबाव बनाने के लिए नाजायज तरीके से निराधार तथ्यों पर यह अपील पेश की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो. द्वारा कोई फर्जीवाडा नही किया है तथा विवादित भूमि से अपीलान्ट को कोई लेना देना नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार तहसीलदार बौंली द्वारा किया गया सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 6.[illegible]2016 इसलिए विधिविरूद्व बताया है, कि सम्परिवर्तन हेतु प्रस्तुत पत्रावली की चैक लिस्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नही है किन्तु इस प्रकरण मे स्वंय तहसीलदार द्वारा ही सम्परिवर्तन आदेश किया गया है किसी उच्चाधिकारी को सम्परिवर्तन हेतु पत्रावली प्रेषित नही की गयी है। [illegible] पर उक्त सम्परिवर्तन आदेश को विधि विरूद्व नही माना जा सकता है ओर जब सम्परिवर्तन आदेश मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है तो उक्त सम्परिवर्तन आदेश के आधार पर दर्ज [illegible] नामा0 संख्या 566 दिनांक 11.3.2016 मे भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। जहॉ तक फर्जीवाडा करने का प्रश्न है तो उक्त संबंध मे अपीलान्ट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 106/2018 एवं 465/2019 थाना बौंली मे दर्ज करवायी गयी थी जिनमे एफ.आर लग चुकी है। [illegible] फर्जी रजिस्ट्री का प्रश्न है तो फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त करवाने बाबत अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्री की वैधानिकता का परीक्षण करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है एवं अपीलान्ट द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner